

(ई कार्यालय फाइल संख्या: सीओ-19089(11)/1/2017-इंजी. (कंप्यूटर नंबर 18059)

केआरसीएल पर आर्बिटेटर पैनल के एम्पैनलमेंट नीति

केआरसीएल में रेलवे बोर्ड नीति और केआरसीएल-जीसीसी और/या इसके समय-समय पर संशोधन के अनुसार रेलवे अधिकारियों और सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों (रेलवे पीएसयू सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित) सहित मध्यस्थता पैनल होगा ।

केआरसीएल सामान्य रूप से रेलवे बोर्ड और मध्यस्थता अधिनियम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेगा, जिसमें मध्यस्थों की नियुक्ति, फीस का भुगतान और अन्य मध्यस्थता मामलें शामिल होंगे।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समेकित दिशा-निर्देश/नीति को एक साथ प्रस्तुत किया गया है और कोंकण रेलवे पर मध्यस्थता पैनल के एम्पैनलमेंट पर नीतिगत दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

नीति विवरण / दिशा-निर्देश

1.0 मध्यस्थों की योग्यता: केआरसीएल जीसीसी की धारा 64 3) (सी) (iii) (i) के अनुसार और / या समय-समय पर इसके संशोधन हैं:

(क) जेएजी स्तर तक का कार्यरत रेलवे अधिकारी,

(ख) एसए ग्रेड स्तर तक सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी उनकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद।

(ग) नियुक्ति के समय मध्यस्थ की आयु 70 वर्ष से कम होगी।

(घ) मध्यस्थता मामलों की कुल संख्या जिसमें उसे पहले में नियुक्त किया गया है। के बावजूद मध्यस्थ को नियुक्त किया जा सकता है

2.0 सतर्कता मंजूरी

- (क) सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों के लिए सतर्कता अनापति सतर्कता विभाग/केआरसीएल के माध्यम से रेलवे बोर्ड से प्राप्त की जाएगी।
- (ख) एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय सेवारत अधिकारियों के सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं होना चाहिए।
- (ग) सेवारत कर्मचारियों के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान और सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के 5 साल के भीतर किसी भी सतर्कता/अनुशासनात्मक मामले में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाया जाना चाहिए।
- (घ) आवेदक पर आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा हों या और उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
- (ङ) सेवानिवृत्त अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

3.0 सामान्य शर्तें

- (क) सेवानिवृत्त आवेदकों के मामले में, आवेदन के समय कहीं भी पूर्णकालिक आधार पर कार्यरत नहीं होने चाहिए।
- (ख) आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदक को पैनल पर नियुक्ति संबंधी कोई अधिकार नहीं होंगे।
- (ग) आवेदक को सूचीबद्ध किया या नहीं किया जा सकता है और वर्तमान सूचना केवल प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है।
- (घ) इम्पैलमेंट किसी भी मामले को सौंपे जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, जो केआरसीएल के विवेकाधिकार पर होगा और उस व्यक्ति को एम्पैनल किए गए किसी भी मामले को सौंप जा सकता है या नहीं भी।
- (ङ) इंजीनियरिंग/वित्त संबंधित उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, सिवाय इसके कि जहां मुद्दा कानूनी हो या कोई अन्य मामला।

4.0 आर्बिट्रेटर पैनल के एम्पैनलमेंट की पद्धति

- (क) इंजीनियरिंग विभाग (ओपन लाइन) द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी और मध्यस्थों के नवीकरण/नए/हटाए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।
- (ख) प्रस्ताव की मुख्य इंजीनियर, वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी और विधि अधिकारी से युक्त नामित समिति द्वारा जांच की जाएगी।
- (ग) समिति सिफारिशे निदेशक (रेलपथ एवं कार्य) के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेगी।
- (घ) आर्बिट्रेटर पैनल के एम्पैनलमेंट को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ केआरसीएल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- ड) केआरसीएल किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और आवेदक को एम्पैनलमेंट किसी भी तरह से या कानूनी तौर पर केआरसीएल द्वारा अपने आवेदन की अस्वीकृति पर निर्णय लेने या सहानुभूति के लिए इसके आगे के प्रसंस्करण के लिए चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

5.0 एम्पैनलमेंट की वैधता

एम्पैनलमेंट की दो साल की अवधि या सेवानिवृत्ति की उम्र (सेवारत अधिकारियों के मामले में) और 70 साल (सेवानिवृत्त होने के मामले में), जो भी पहले हो, तक के लिए वैधता मान्य होगी।

6.0 आर्बिट्रेटर पैनल के एम्पैनलमेंट की समीक्षा

- (क) मध्यस्थों के एम्पैनलमेंट समीक्षा वर्ष में एक बार अप्रैल माह में की जाएगी।
- (ख) वर्ष के लिए आवेदन पर विचार करने की अंतिम तिथि मार्च महीने के दौरान है।
- (ग) वर्ष के मार्च महीने के बाद प्राप्त आवेदन पर अगले वर्ष की समीक्षा के लिए विचार किया जाएगा।
- घ) केआरसीएल द्वारा नए आवेदकों की वार्षिक समीक्षा/प्रसंस्करण में किसी भी आंतरिक देरी के कारण,

मौजूदा मध्यस्थता पैनल नया पैनल / समीक्षा होने तक जारी रहेगा।

7.0 विवादों का सुलझाना और निपटान

केआरसीएल जीसीसी की धारा 63 और / या समय-समय पर इसके संशोधन के अनुसार, विवादों को सुलझाना और इसकी निपटान प्रक्रिया का पालन करना होगा।

8.0 प्रत्येक मामले के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया

8.1 आर्बिट्रेटर की नियुक्ति केआरसीएल जीसीसी की धारा 64 के (3) (ए) (के) (iii) या समय-समय पर इसके संशोधन अनुसार की जानी चाहिए। इसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 12(5) के छूट दी गई है।

8.2 आर्बिट्रेटर की नियुक्ति केआरसीएल जीसीसी की 64 के (3) (ए) (के) (iii) केआरसीएल जीसीसी की और / या समय-समय पर इसके संशोधन अनुसार की जानी चाहिए। इसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 12(5) को छूट नहीं दी गई है।

8.3 केआरसीएल जीसीसी की धारा 64 (3) (ग) (आई), धारा 64 (3) (क) (i) और धारा 64 (3) (क) (ii) और / या समय-समय पर इसका संशोधन के अनुसार किए जाने वाले मध्यस्थों की नियुक्ति में बदलाव किए जाने चाहिए।


(क) आर्बिट्रेटर केआरसीएल को मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित सभी रिकॉर्ड वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) मध्यस्थ को मामले में नियुक्ति की तारीख के 1 (एक) वर्ष के भीतर एवॉर्ड प्रकाशित करना आवश्यक है।

५

9.0 मध्यस्थ सदस्य को भुगतान और अन्य सुविधाएं

- (क) रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार पत्र संख्या. 2009/सीई-आय/सीटी/आय 4/ मुख्य दिनांक 04.09.2019 और दिनांक 01.04.2019 या समय-समय पर किसी भी रेलवे बोर्ड के नए परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसार अर्बिटेटर के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी को शल्क और परिलब्धियां लागू होंगी।
- (ख) मध्यस्थता पर सभी खर्च दावेदारों और केआरसीएल द्वारा वहन किया जाएगा।
- (ग) जब केआरसीएल से कोई काउंटर क्लेम नहीं किया गया है। फिर भी मध्यस्थ पैनल मामले को अंतिम रूप देने और निपटाने के लिए आगे कार्य करता है तो केआरसीएल मध्यस्थों को ठेकेदार की हिस्सेदारी का भुगतान नहीं करेगा।
- (घ) केआरसीएल केवल सदस्यों को मध्यस्थता शुल्क के अपने लागू हिस्से का भुगतान करेगा।
- (ङ) शुल्क केवल ऊपर अनुसूची और आवेदन के अनुसार संबंधित मध्यस्थ के लिए भुगतान किया जाएगा। अगर आवेदक ऊपर दिए गए शुल्क और अनुसूची से सहमत हों, तो आवेदन कर सकते हैं।
10. 110.0 जब तक कि अनुबंध और केआरसीएल जीसीसी और / या समय-समय पर इसके संशोधन को जारी नहीं किया जाता है, तब तक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार सभी मध्यस्थता कार्यवाही का पालन किया जाएगा।

 23/11/20
मुख्य अभियंता/ केआरसीएल